

विश्व धरोहर के साथ खुलेआम खिलवाड़!!!



मिशन हेरिटेज

नगर निगम हेरिटेज के किशनपोल ज़ोन में विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित भवन 967, जयपुर कॉलेज, चौकड़ी विश्वेश्वर, चौड़ा रास्ता, जयपुर को रात के अँधेरे में तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इस विश्व विरासत में हो रही तोड़फोड़ की खबर किशनपोल ज़ोन प्रशासन को मिलने के बाद उनके द्वारा एक नोटिस भी दिनांक 16/02/2021 को इसकी दिवार पर चस्पा कर दिया गया था और निगरानी के लिए गार्ड भी बैठा दिया गया था परन्तु उसके बावजूद सरकारी गार्ड की मौजूदगी में आज दिनांक तक इस विश्व विरासत में तोड़फोड़ की कार्यवाही जारी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार भूमाफियाओं द्वारा इसे तोड़कर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार इस विश्व धरोहर को नुकसान पहुंचाने में एक बड़े रसूखदार व्यक्ति का हाथ है, जिसके चलते ही निगम प्रशासन द्वारा नोटिस देकर कागजी खानापूर्ति कर ली गयी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमसे विश्व विरासत का दर्जा छीन लिया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर घाटगेट

क्रमांक:-F-52/DC/KPZ/2021/253

दिनांक:- 16/2/2021

नाम व्यवस्थापक


जयपुर कॉलेज, चौडा रास्ता
चौकडी विश्वेश्वर जी जयपुर।



“ नोटिस ”

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा जयपुर कॉलेज के नाम से विख्यात हैरिटेज हवेली के पश्चिमी व उत्तरी दिशा में पुराने बने भीतरी भाग के कमरो व दिवारो को तोडने का कार्य किया जा रहा है। उक्त भवन “जयपुर कॉलेज” विश्व धरोहर हैरिटेज सर्वे में चिन्हित हैरिटेज भवनो में शामिल है। जो विश्व धरोहर है। जो जयपुर का सौंदर्य है। जिसे आप द्वारा बिना ईजाजत तोडफोड कर नष्ट किया जा रहा है। अतः आप द्वारा किये गये तोडफोड कार्य को तुरंत बंद कर देवे उक्त भवन में पूर्व की स्थिति कायम कर देवे, जिससे जयपुर कॉलेज का सौंदर्य बना रहे यदि आप द्वारा उक्त कार्य नही किया तो आपके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। साथ ही संबंधित थाने में विश्व धरोहर को तोडफोड व नष्ट करने के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा। जिसकी समस्त हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी।


सूचित रहे।


उपायुक्त
उपायुक्त
किशनपोल जोन
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर

किशनपोल जोन द्वारा दिया गया नोटिस

Uniform colour code for Walled City residential & biz complexes

Plan Has Been Submitted To Unesco



Jaipur heritage project a model for S Asia: Unesco

Bhagrath

यूनेस्को तैयार करवा रहा स्पिराल हार्टेज प्लान, हर घर बाजार का किया जा रहा सप

...and its residents," said R K Vijayvargia, chief town planner, Jaipur.

Keeping the overall aesthetics in mind, the size of the signages on buildings have to be different on the basis of floors. The signages on the second floor have to be slightly bigger in size as compared with the ground floor and those inside the corridors. The rules for the temples also have a uniform pattern. The document says that the name of the temple to be scribbled on the white background and signage should have borders and names written with Jaipur polish. The size of signages dealing with navigation is the biggest among them all to ensure that it serves its purpose.

"It also includes finer data-

दक्षिण एशिया के ऐतिहासिक शहरों के लिए मॉडल बनेगा हमारा 'जैपर'

पहले चरण की करीब 600 इमारतों की सूची हो जाएगी अगले माह बनकर तैयार

इन पर दिया जा रहा ध्यान

हैरिटेज संरक्षण को बढ़ावा दिया तो फायदा ही फायदा

इन दिक्कतों को दूर करना जरूरी

जयपुर. यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल राजस्थान का परकोटा क्षेत्र अब दक्षिण एशिया के देशों के लिए मॉडल बनेगा। यूनेस्को की ओर से जैपर (अब तैयार करवाया जा रहा है) इसी के तहत 293 वर्ष पुराने शहर की इमारतों से लेकर बाजारों का सर्वे

ऐसी इमारतें जो संरक्षित क्षेत्रों में नहीं आती, लेकिन इनकी बनावट ऐतिहासिक है। किसी इमारत में पेंटिंग क्यों पुरानी है और उसको आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। इसी तरह भी दक्षिण एशिया के देशों में ऐसी इमारतों की सूची तैयार की जाएगी जो संरक्षण के लिए मॉडल बनेंगी।



हैरिटेज इवेलियों व इमारतों का संरक्षण करने पर नगरीय विकास कार में विशेष ध्यान।

इन प्रोजेक्ट्स को पर्यटन प्रोजेक्ट मानते हुए टैक्स, मनोरंजन कर से लेकर सेल्फ टैक्स में भी छूट का प्रावधान सरकार ने रखा है।

ऐतिहासिक स्थलों पर अधिकतम हैं। इनको हटाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है।

परकोटे में पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। जो घोषणाएं हुई वो कागजों से बाहर नहीं आ पाई हैं।

शून्य सर्वे में अतिक्रमण और मूलस्वरूप से छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

भविष्य पर भी है नजर

विश्व धरोहर घोषित करने के समय प्रकाशित खबरें, जिन्हें पढ़कर हमें गर्व हुआ था।

glass panes with dark brown frames. The bazaar facing mounted units and terrace encroachments will be removed too," added Vijayvargia. The body has prepared a list of 600 structures which will undergo a change under the project.

Sites. "Old Karkhana (Business) flourished until the early twentieth century. Due to modernization and industrial expansion, several of these practices have gone missing from

...के अलावा जीवित परम्पराओं और यहां की संस्कृति पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

...का हुआ है। यूनेस्को ने अब तक की प्रगति रिपोर्ट की तारीफ की। इस सर्वेक्षण जनवरी में पूरा हो जाएगा।

आर.के. विजयवर्गीय, वैयर्यसन, टैक्निकल हैरिटेज कमिटी

जवाब मांगते सवाल?

1. जब यह ईमारत JAIPUR (WALLED CITY) HERITAGE CONSERVATION AND PROTECTION REGULATIONS-2020 के तहत संरक्षित है तो उसके बावजूद इसमें क्यों तोड़फोड़ की जा रही है?
2. क्या भवन मालिकों द्वारा निगम की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी थी?
3. आखिर यह लोग इसमें ऐसा क्या बना रहे है जिसे बनाने के लिए चोरी-छिपे तोड़फोड़ की जा रही है?
4. क्या यूनिस्को की कमिटी द्वारा इसके मूल स्वरूप का मूल फिंगरप्रिंट तैयार कर रखा है जिसके तहत इसकी बाहरी और आंतरिक साज सजा में परिवर्तन किया जाना था?
5. क्या यूनिस्को के मूल फिंगरप्रिंट के अनुसार ही इसमें निर्माण किया जा रहा है?
6. कौन है इस बिल्डिंग का मालिक जो अपने रसूखातों के दम पर विश्व धरोहर से खिलवाड़ करने की जुरत कर रहा है?क्या है उसके राजनैतिक रसूखात?
7. आखिर किशनपोल ज़ोन के उपायुक्त श्री सोहनलाल केवल नोटिस देकर ही क्यों खानापूति कर रहे है?
8. आखिर क्यों वह विश्व धरोहर को बिना इजाजत तोड़ने और नुकसान पहुंचाने के क्रम में भवन के मालिकों के विरुद्ध स्थानीय थाने में मामला दर्ज नहीं करवा रहे है?
9. आखिर क्यों किशनपोल ज़ोन के उपायुक्त श्री सोहनलाल इस बिल्डिंग को सील नहीं कर, अवैध निर्माणकर्ताओं को मौका दे रहे है?
10. यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या हम विश्व धरोहर के खिताब को कायम रख पाएंगे?
11. किशनपोल ज़ोन क्षेत्र में और कितनी धरोहरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है?

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :- www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है। अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों / समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुंचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:- S-1, सेकंड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड, जयपुर अथवा ईमेल :- jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते हैं। आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा।